उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

रे0मि0 (पी0ए0) अपील वाद सं0 14/2021–22

उमाशंकर दर्वे.....अपीलकर्त्ता

बनाम

कृष्ण प्रसाद सिंह.....उत्तरकारी

आदेश

11.01.2022

यह रे0मि0 (पी0ए0) अपील वाद अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के पी0ए0 वाद सं0–99/16–17 में पारित आदेश दिनांक–17.08.2021 के विरूद्ध दायर किया गया है। जिसमें अपीलकर्त्ता के दावों को अस्वीकृत करते हुए उत्तरकारी को मौजा का प्रधान पद पर नियुक्त किया गया है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क निम्न प्रकार है :–

(1) मौजा गरडा अमराकुंडा प्रधानी मौजा है। अपीलकर्त्ता गेंजर प्रधान कुंज बिहारी दर्वे के वंशज है।

(2) अंचल अधिकारी द्वारा अपने प्रतिवेदन में अपीलकर्त्ता को प्रधान पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा किया गया है।

(3) उत्तरकारी को मौजा के रैयत द्वारा प्रधान पद पर स्वीकार्य नहीं है।

इसके पश्चात् भी अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका द्वारा उत्तरकारी को प्रधान पद पर नियुक्त किया गया है जो न्याय संगत नहीं है। अतः अनुमंडल पदाधिकारी का आदेश को विलोपित करते हुए अपील आवेदन को स्वीकृत किया जाय।

उत्तरकारी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क निम्न प्रकार है :–

(1) मौजा का अंतिम नियुक्त प्रधान रामजीवन सिंह थे, जिनकी मृत्यू दिनांक–25.11.2016 को हो चुकी है। उत्तरकारी पूर्व प्रधान के पुत्र है।

(2) अंचल अधिकारी द्वारा उन्हें प्रधान पद पर नियुक्ति हेतु प्रतिवेदित किया गया है। इनके नियुक्ति हेतु ग्राम सभा द्वारा सहमति दी है।

(3) पूर्व प्रधान के पुत्र होने के नाते उन्हें अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के धारा–6 के अन्तर्गत मौजा का प्रधान पद पर किया गया नियुक्ति सही है।

अतः अपील आवेदन को अस्वीकृत किया।

अंचल अधिकारी का प्रतिवेदन एवं अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश में उल्लेखित तथ्य :–

अंचल अधिकारी, जरमुण्डी से पत्रांक–964/रा0 दिनांक–29.06.2017 एवं पत्रांक–965/रा0 दिनांक–29.06.17 द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। अंचल अधिकारी द्वारा दोनो ही प्रतिवेदन में अपीलकर्त्ता को गेंजर प्रधान के वंशज एवं उत्तरकारी को निवर्त्तमान प्रधान के वंशज होने के नाते प्रधान पद पर नियुक्त करने हेतु अनुशंसा किया गया है। ग्राम सभा द्वारा दोनो पक्ष को सहमति प्राप्त है। अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा उत्तरकारी को अंतिम प्रधान स्व0 रामजीवन सिंह के पुत्र होने के नाते संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के धारा–6 के अन्तर्गत प्रधान पद पर नियुक्त किया गया है।

<u>प्रावधान</u>

संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम के धारा–6 के अन्तर्गत प्रधानी मौजा में उत्तराधिकारी के आधार पर प्रधान नियुक्त करने का प्रावधान है तथा नियुक्ति का दिशा निर्देश शिउ्डल V के नियमों में उल्लेख है। संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम के धारा–6 में निम्न प्रकार उदृत है :–

Sec-6 Landlord to report the death of village headman. – When the village headman of a village which is not khas dies the landlord of the village shall report the fact within three months of its occurrence to the Deputy Commissioner with a view to the appointment of a village headman in the prescribed manner.

सिउड्ल–V का रूल–3–The office of the headman being hereditary, the next year, who is fitted, should be headman.

निष्कर्ष

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने तथा अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलकर्त्ता का दावा गेंजर प्रधान के वंशज होने के नाते तथा उत्तरकारी को अंतिम प्रधान के वंशज होने के आधार पर प्रधान पद पर दावा है। मौजा के अंतिम नियुक्त प्रधान स्व0 रामजीवन सिंह थे जिनकी नियुक्ति अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के पी0ए0 केस नं0–100/965–66 में आदेश दिनांक–29.04.1966 द्वारा हुई थी। अंतिम नियुक्त प्रधान की मृत्यू दिनांक–25.11.2016 को हो चुकी है। ऐसी स्थिति में प्रधानी पद पर उत्तरकारी को उत्तराधिकारी के हैसियत से संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के धारा–6 के अन्तर्गत सिउड्ल–V का रूल–3– के आधार पर दावा बनता है। ऐसी स्थिति में अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश सही प्रतीत होता है।

आदेश

उल्लेखित तथ्य एवं कानूनी प्रावधानों के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखते हुए अपील आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

उपायुक्त,
दुमका।

उपायुक्त,
दुमका।

42 ... 23/2/22

Digitally signed by RAVI SHANKAR SHUKLA
Date: 2022.12.06 12:01:57 +05:30
Location: 169.254.227.244